अतिमहत्वपूर्ण/सर्वोच्च प्राथमिकता/ई0मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।

Website-http://pwd.uk.gov.in E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

पत्रांकः– 229 /78 बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2018–19 दिनांकः– 7 /07/2018

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–।/स्तर–।।,
क्षेत्रीय /रा0राजमार्ग कार्यालय, लोक निर्माण विभाग,
देहरादून/नई टिहरी/पौड़ी/अल्मोड़ा/पिथौरागढ़/हल्द्वानी।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों तथा सेतुओ के पुर्ननिर्माण/तात्कालिक मरम्मत हेतु एस0डी0आर0एफ0 के मानकों के अन्तर्गत धनावंटन प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– शासनादेश संख्या 1763/XVIII-(2)/18–12(4)/2013 टी0सी0 दिनांक 3.07.2018

उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 3.07.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में गतिमान मानसून अवधि के दौरान राज्य में भारी वर्षा, भूस्खलन तथा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मार्गो/सेतुओ के पुर्ननिर्माण एवं बन्द मार्गो को तात्कालिकता के आधार पर यातायात हेतु खोले जाने सम्बन्धी कार्यो, जो कि एस0डी0आर0एफ0 के मानको के अन्तर्गत आते हों, हेतु लोक निर्माण विभाग को ₹ 16.00 करोड़ की धनराशि सशर्त आवंटित की गई है। सन्दर्भित शासनादेश की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

(2) शासन द्वारा एस0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त धनराशि ₹ 16.00 करोड़ (₹ सोलह करोड मात्र) के सापेक्ष जनपदवार एलोकेशन निम्नानुसार निर्धारित करते हुए यह भी निर्देशित करना है कि जनपदवार निर्धारित एलोकेशन की सीमान्तर्गत अपने अधीनस्थ खण्डों/वृत्तों से वित्तीय वर्ष 2018–19 मे प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों के तत्कालीक मरम्मत हेतु एस0डी0आर0एफ0 के मानको के अन्तर्गत /आवश्यक प्रस्ताव/आगणन गठित कराने के उपरान्त अपनी सस्तुति सहित 10 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें।

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क0सं0	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित एलोकेशन
1	देहरादून	1.00
2	हरिद्वार	1.00
3	उत्तरकाशी	1.50
4	नई टिहरी	1.50
5	चमोली	1.50
6	रूद्रप्रयाग	0.75
7	पौड़ी	1.50

क0सं0	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु निर्धारित एलोकेशन
8	अल्मोड़ा	1.00
9	बागेश्वर	0.75
10	पिथौरागढ़	2.25
11	चम्पावत्	0.75
12	नैनीताल	1.50
13	ऊधमसिंह नगर	1.00
योग, उत्तराखण्ड		16.00

(3) एस0डी0आर0एफ0 मद के अन्तर्गत कार्यो का चयन किये जाने एंव निर्धारित मानको के अनुसार आगणन तैयार किये जाने के लिए इस सम्बन्ध मे भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ,तथा चयनित कार्यो की सस्तुंति प्रदान करने एंव विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर पर कार्यो की स्वीकृति हेतु गठित तकनीकी समिति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रकिया (पत्र स0 848/78 बजट (एस0डी0आर0एफ0)/2017–18 दिनांक 22.8.2017) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 3 .7.2018 में निहित समस्त प्राविधानों मानको के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत कार्यो का प्रस्ताव तैयार करने एंव प्रस्तावित कार्यो की स्वीकृति /अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी (विभागाध्यक्ष) से प्राप्त होने के उपरान्त आंवटित धनराशि का उपयोग निहित नियमों /मानको तथा प्राविधानित के अन्तर्गत सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं का होगा।

क्रमशः पृष्ठ संख्या–2 पर

विषयक प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण एंव समयबद्व है। चयनित कार्यो के आगणन 10 दिनों के अन्तर्गत इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाने की समयबद्व कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधीक्षण अभियन्ताओं एंव अधिशासी अभियन्ताओं को आज ही उपरोक्तानुसार दिशा–निर्देशित करने का कष्ट करें।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन। महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।

प्रभारी प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

प्रतिलिपिः निम्नलिखि को सूचनार्थ एवं अविलम्ब अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
(2) वरिष्ठ स्टाफ आफिसर–।।, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/स्टाफ–आफिसर, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
(4) समस्त अधीक्षण अभियन्ता ..... वॉ वृत्त लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
(5) समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/खण्ड लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।
(6) सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ अभियन्ता (प्रविधिक) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
(7) अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सेल कार्यालय प्रमुख अभियन्ताएंव विभागाध्यक्ष, का विभागीय बेवसाईट में अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)

संख्या-1763 /XVIII-(2)/18-12(4)/2013 TC

2/4.7.18

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड।

2198 2194 AAO 81512 417 प्रमुख अभियन्ता वि० लो० नि०

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांक 03 जुलाई, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य आपदा मोचन निधि से प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत कार्यो हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

Shri Parihar Ji, Accountant

Clar. 5.7.2018 A.A.O.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 87/78 बजट (एस.डी.आर.एफ.)/2018-19, दिनांक 16.05.2018 व उच्चस्तर पर लिये गये निर्णयानुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 के मानसून सत्र में राज्य में भारी वर्षा एवं भूस्खलन आदि से राज्य के विभिन्न जनपदों में घटित प्राकृतिक आपदाओं के दृष्टिगत तात्कालिक कार्यो हेतु बन्द मार्गो को खोले जाने व सेतुओं को पूर्व दशा में लाये जाने आदि कार्यो हेतु धनराशि की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त के कम में सम्यक विचारोपरान्त राज्य आपदा मोचन निधि में वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई बजट व्यवस्था से ₹ 1600.00 लाख (₹ सोलह करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से हुई क्षति में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से व्यय हेतु संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 08.04.2015 में भारत सरकार द्वारा विभागवार तात्कालिक प्रकृति के कार्य स्पष्ट किये गये हैं तथा तात्कालिक प्रकृति के क्षतिग्रस्त कार्यो में मरम्मत हेतु समय सीमा निर्धारित की गयी है। अतः प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त विभागीय परिसम्पत्तियों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि भारत सरकार के उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। (सुलभ संदर्भ हेतु प्रति संलग्न)

3- आहरण व व्यय केवल उन मरम्मत एवं पुर्नस्थापना कार्यो के लिए किया जायेगा, जो एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों में अनुमन्य हैं।

4- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

5- सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यो में से 5% कार्यो का स्वविवेकानुसार (Randomly) चयन करते हुए Third Party जांच करायी जायेगी व आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- कराये गये कार्यो की अनिवार्यतः फोटोग्राफी एवं यथासम्भव वीडियोग्राफी भी सुनिश्चित की जायेगी व आख्या जिलाधिकारी व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7- स्वीकृत धनराशि उक्त मद में नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

8— व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

9— स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।

10— कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जायेंगी एवं सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

11— कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य विभागीय बजट अथवा इस बजट से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। यदि स्वीकृति प्राप्त हुई है तो उसको समायोजित करते हुए अवशेष धनराशि इस धनराशि में से व्यय की जायेगी, इसकी लिखित पुष्टि कर ली जायेगी तथा नव निर्माण कार्यो में कदापि धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

12— कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये सम्बन्धित जिलाधिकारी/निर्माण एजेन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

13— उक्तानुसार राज्य आपदा मोचन निधि से लोक निर्माण विभाग को अवमुक्त की जा रही धनराशि के पश्चात जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा इस मद में कोई धनराशि लोक निर्माण विभाग को आवंटित नहीं की जायेगी।

14— उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या–6 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–05–राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)–101–आरक्षित निधियों एवं जमा लेखों में अन्तरण एस.डी.आर.एफ.–02–आपदा राहत निधि से व्यय–42–अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

15— यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–75/मतदेय/वित्त अनु0–5/2018, दिनांक 03 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या— (1)/XVIII-(2)/18-12(4)/2013 TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2— अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी एवं लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3— आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4— समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
5— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6— अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8— निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9— निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— वित्त अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन।
12— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव